अल्पसंख्यक क्षेत्रों में शैक्षिक रूप से पिछडी महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए कार्यक्रम

2405. **श्री इकबाल सिंहः** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के अल्पसंख्यक क्षेत्रों में शैक्षिक रूप से पिछडी महिलाओं और बच्चों के विकास के लिये कोई कार्यक्रम तैयार किया है;और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस कार्यक्रम को देश के विभिन्न राज्यों में लागू करने के लिये सरकार द्वारा कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाये जा रहे है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया)ः (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय और शिक्षा विभाग द्वारा महिलाओं तथा बच्चों सहित शैक्षित रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के विकास के लिए निम्नलिखित योजनएं कार्यन्वित की जा रही है:-

(1) 24,000 रुपए प्रति वर्ष की आय सीमा वाले अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गो के लक्ष्य समूह के लिए वर्ष 1992-93 से पूरे देश में आर्थिक मानंदडों पर आधारित कमजोर वर्गो के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना चलाई जा रही है। इस योजना के प्रारम्भ से 9020 प्रत्याशियों को लाभ पहंचाते हुए गैर सरकारी संगठनों को 3.52 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को बिख्यात कोचिंग संस्थाओं की पहचान करने और अल्पसंख्यक बहुल जिलों से प्रस्तावों को अग्रेषित करने के लिए कहा गया है।

(2) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की स्थापना 500 करोड़ रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी के साथ सितम्बर, 1994 में की गई जिसमें केन्द्र सरकार का शेयर 125 करोड़ रुपए है। यह निगम अल्पसंख्यकों के बीच उन पिछड़े वर्गो के परिवारों को स्वरोजगार उद्यमोम की स्थापना के लिए ब्याज की रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा की दोगुना से नीचे है। जिसकी वर्तमान दर से 22,000 रुपए प्रति वर्ष मानी गई है । राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम देश भर में राज्य माध्यम एजेंसियों के माध्यम से अपनी योजनाएं कार्यान्वित करता है। निगम के आरम्भ से 21496 व्यक्तियों को लाभ पहंचाते हुए राज्य माध्यम एजेंसियों को 6568.99 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई है।

(3) बहुक्षेत्रीय विकास की योजनाओं की यह स्कीम देश भर में स्थित 41 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में स्पष्ट रूप से चलाए जा रहे आर्थिक कार्यकलापों को चलाने केलिए अपेक्षित क्रेडिट तकनीकी प्रशिक्षिण तथा विपणन समर्थन के मूल्यांकन से और उन तरीकों जिनके द्वारा उनका प्रबन्धन किया जा सकता हो, के उद्देश्य से वर्ष 1995-96 के दौरान चालाई गई थी इस योजना को संबंधित राज्य सरकारोम के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इसके बनने से इसके अंतर्गत 41 अल्पसंख्यक बहुत जिलोम में 60,60 लाख रुपए बितरित किए गए है।

(4) शौक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रमः इस योजना को वर्ष 1993-94 में शौक्षिक रूप से उन पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में जहा प्रारम्भिक शिक्षा के लिए समुचित प्रावधान नहीं है आधारभूत शौक्षिक तथा अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1993-94 में शुरू किया गया था। आठवीं योजना अवधि में 16.27 करोड़ रुपे के आबंटन में से इस योजना के अंतर्गत 8.97 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है।

(5) मदरसे तथा मकतबों का आधुनिकी-कारणः- यह योजना अतिरिक्त विषय अर्थात विज्ञान, गाणित, अंग्रेजी आदि के अतिरिक्त विषयों को शुरू करने के उद्देशय से वित्तीय सहायता प्रदान करके मदरसे से छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा पद्वति की तुलना में ग्रहण करने के अवसर प्रदान करने के लिए है। योजना में 1.72 करोड़ रुपए की राशि का व्यय किया गया।

(6) सामुदायिक पालिटेक्रिक की योजनाः- यह योजना वर्ष 1978-79 में शुरू की गई और पहचान की गई 100 से अधिक तकनीकी तथा व्यासवसायिक गैर पारंपरिक प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार अवसरों के सृजन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रयोग्के लिए केन्द्रीय बिन्दु के रूप में कार्य करने के लिए सामुदायिक पालिटेक्रिकों की परिकल्पना इसमें की गई

है। सचिव/मंत्री के स्तर पर योजना की मानिटरिग की जा रही है। 8वीं योजना मेम 8.65 करोड़ रुपए की राशि का व्यय किया गया।

Prohibition in Haryana and Loss suffered by State

2406. SHRI LACHHMAN SINGH: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government of Haryana has introduced total prohibition in Haryana;

(b) whether Government of India have compensated the loss suffered on account of prohibition of the State; and

(c) if so, the extent of compensation?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) There is no Scheme with the Government of India for compensating the loss suffered on account of implementation of prohibition in the State.

विकलांग व्यक्तियों हेतु केन्द्रीय समन्वय समिति

2407. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्लाः** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विकलांग व्याक्तियों हेतु केन्द्रीय समन्वय समिति गाठित की गई है और उसमें गुजरात को शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विकलांग बच्चों की सहायता हेतु क्या कदम उठाए गए है; और

(घ) इस दिशा में समन्वय समिति की भूमिका क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया)ः (क) और (ख) दिनांक 21 फरवरी , 1997 को भारत सरकार द्वारा सा0आ0 133(ई) के तहत भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-2 खण्ड-3 उपखण्ड (2) में केन्द्रीय समन्वय समिति के गठन को अधिसूचित किया गया है। खण्ड 3(2) ट में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से चक्रानुक्रम आधार 4 सदस्योम के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। गुजरात को इस बार शामिल नहीं किया गया है।

(ग) 4 राष्ट्रीय संस्थानों तथा 2 शीर्ष स्तरीय संस्थानोम द्वार प्रदान की गई सेवाओं के अतिरिक्त, निम्नलिखित 5 योजनाओं के अतंर्गत कल्याण मंत्रालय से सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे गैर-सरकारी संगठन भी बच्चों सहित विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्यक्रम चलाते हैः-

(1) विकलांगो के लि स्वयंसेवी संगठनों को सहायता।

(2) विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्र और उपकरण की खरीद/फिटींग की सहायता योजना।

(3) कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता।

(4) विशेष स्कूलों की स्थापना और विकास की योजना।

(5) मानसिक मंदता और प्रमास्तिष्क अंगघात के क्षेत्र में जनशक्ति विकास के लिए संगठनों को सहायता।

(घ) विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 8(1) के अनुसार केन्द्रीय समन्वय समिति का कार्य विकलांगता के मामलों में राष्ट्रीय केन्द्र बिन्दु के रूप में काम करना और विकलांग व्यक्तियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का समाधान करने के लिए विस्तृत नीति के निंरतर विकास की व्यवस्था करना होगा।

Consti'uction of National Public Library in the name of Dr. B.R. Ambedkar

2408. SHRI GUNDAPPA KORWAR:
SHRI K.R. JAYADEVAPPA:

Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have taken any steps to construct National Public Library in Delhi in the name of Dr. B.R. Ambedkar as decided in 1991;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, the reasons thereof;